



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 21.08.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना कदौरा पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय कालपी जनपद जालौन द्वारा 03 अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए 03-03 वर्ष का कारावास एवं 9,000- 9,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तगण 1.मल्हू 2.कल्लू 3.पुल्सी पुत्रगण बाबू भगत निवासीगण ग्राम चतेला थाना कदौरा जनपद जालौन के विरुद्ध थाना कदौरा पर मु०अ०सं० 396/07 धारा 504/506(2)/354 भादवि व धारा 5 उत्तर प्रदेश बंधित श्रम अधि० पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व थाना कदौरा पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय AJM कालपी जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण मल्हू, कल्लू, पुल्सी उपरोक्त को दोषी पाते हुए 03-03 वर्ष का कारावास एवं 9,000-9,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



सुनील कुमार शर्मा
अभियोजन अधिकारी



प्र०नि० मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



का० शिवप्रताप
कोर्ट पैरोकार



हे०का० रोहित कुमार
कोर्ट मुद्दरिर

jalaunpolice

